भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2631

दिनांक 02.08.2016/11 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

एस०सी०/एस०टी० समुदाय के विरुद्ध अपराध

†2631. **श्री शंकर प्रसाद दत्ता :**

श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर :

श्री के० एन० रामचन्द्रन :

श्री शिशिर कुमार अधिकारी :

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसूचित जातियों (एस०सी०), अनुसूचित जनजातियों (एस०टी०), कमजोर वर्गों, अल्पसंख्यकों की विरुद्ध अत्याचारों एवं अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दर्ज मामलों/गिरफ्तार किए गए दोषियों/अपराधी ठहराए गए व्यक्तियों, सुलझे/अनसुलझे मामलों तथा हासिल की गई दोष सिद्ध दर की अलग-अलग कुल संख्या क्या है तथा दोष सिद्धि दर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं एवं गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का अपराध-वार, लिंग-वार एवं गुजरात सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी वृद्धि के कारणों की पहचान करने हेतु कोई अध्ययन कराया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या परिणाम है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे पीड़ितों को कानूनी सहायता दी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में राज्यों एवं पुलिस विभागों को दी गई सलाहों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2013, 2014 और 2015 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति कुल अपराध (जिनमें अत्याचार

<u>लोक सभा अता. प्रश्न संख्या 2631</u>

से अलग मामले भी शामिल हैं) के क्रमशः 39408, 47064 और 45003 मामले तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति कुल अपराध (जिनमें अत्याचार से अलग मामले भी शामिल हैं) के क्रमशः 6793, 11451 और 10914 मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2015 के आंकड़े अनंतिम हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के प्रति अपराध के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2013-2015 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (गुजरात सहित) और अपराध शीर्ष-वार दर्ज मामलों, आरोपपत्रित मामलों, वे मामले जिनमें आरोप पत्र दायर नहीं किये गए हैं किन्तु अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है (निपटाए नहीं गए), दोषसिद्ध मामलों, मामलों की दोषसिद्धि दर, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोपपत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों का ब्यौरा क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दिया गया है। वर्ष 2014-2015 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध के अंतर्गत पीड़ितों की लिंग-वार संख्या क्रमशः अनुलग्नक-III और 4 में दी गई है।

(ग) : सरकार ने ऐसी वृद्धि होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है।

........3/-

(घ) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (वर्ष 2016 का 1) द्वारा यथा संशोधित अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति अपराधों से संबंधित दर्ज मामलों का विचारण विशेष न्यायालयों और विशिष्ट/विशेष न्यायालयों में क्रमशः विशेष लोक अभियोजकों और विशिष्ट विशेष लोक अभियोजकों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम के उप नियम (5) में यह उपबंधित है कि जिला मजिस्ट्रेट या सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट, यदि आवश्यक समझे या यदि अत्याचार पीड़ित की इच्छा हो, तो जिला मजिस्ट्रेट या सब-डिवीजन मजिस्ट्रेट द्वारा उचित समझे गए शुल्क पर विशिष्ट विशेष न्यायालयों के विशेष न्यायालयों में मामलों के विचारण के संबंध में एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवाएं ली जा सकती हैं।

(ड.) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी अपराधों की रोकथाम, उनका पता लगाने, पंजीकरण, जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ

........4/-

<u>लोक सभा अता. प्रश्न संख्या 2631</u>

राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, गृह मंत्रालय में 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015' के बारे में दिनांक 23 मई, 2016, "अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक उपायों" के बारे में दिनांक 01 अप्रैल, 2010 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता" के बारे में दिनांक 03 फरवरी, 2005 के परामर्शी-पत्र जारी किये हैं, जो http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/Advisory23052016_improve.pdf http://www.mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/pdf/Advisory-SCST_010610.pdf http://www.mha.nic.in/apcr पर उपलब्ध हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को अक्षरशः क्रियान्वित करने का अनुरोध करता रहा है। सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संबोधित दिनांक 05.06.2015 और 09.06.2015 के अ.शा. पत्रों में समूचित कार्रवाई के विशिष्ट बिन्दुओं अर्थात समय पर एफआईआर दर्ज और न्यायालय में आरोप पत्र दायर करने, लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने तथा दोषसिद्धि में सुधार करने, अधिकारियों को सुविज्ञ बनाने, जागरुकता सृजन, अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के प्रचार पर विशेष जोर दिया गया है।

........5/-

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को और अधिक न्याय प्रदान करने के साथ-साथ दोषियों को और कड़ा दंड देने के उद्देश्य से अत्याचार निवारण अधिनियम को दिनांक 01.01.2016 को भारत के राजपत्र. असाधारण में अधिसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (वर्ष 2016 का 1) द्वारा संशोधित किया गया है और यह दिनांक 26.01.2016 से प्रभावी है। सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संबोधित दिनांक 19.05.2015 के अ.शा. पत्र में उनसे अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का 1) के कार्यान्वयन का अनुरोध किया है। नागरिक अधिकार संरक्षण और अत्याचार निवारण अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र द्ववारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जाती है, जो मुख्यतः प्रवर्तन और न्यायिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण, अत्याचार के पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास, अंतरजातीय विवाह, जिनमें पति/पत्नी में कोई एक अनुसूचित जाति का हो, के लिए प्रोत्साहन और जागरुकता सृजन के लिए होती है। वर्ष 2006 में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति भी समय-समय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नागरिक अधिकार संरक्षण और अत्याचार निवारण अधिनियमों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करती है।

****

KEXAMS

वर्ष 2014-2015 के दौरान अनुसूचित जातियों के लोगों के प्रति अपराध के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और लिंग वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014				2015*			
		पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल
1	आंध्र प्रदेश	2884	1337	0	4221	2998	1457	0	4455
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3	असम	1	3	0	4	3	2	0	5
4	बिहार	8021	266	0	8287	6116	587	0	6703
5	छत्तीसगढ़	649	423	0	1072	655	382	0	1037
6	गोवा	17	7	0	24	13	0	0	13
7	गुजरात	966	302	0	1268	861	250	0	1111
8	हरियाणा	508	349	0	857	521	330	0	851
9	हिमाचल प्रदेश	74	48	0	122	57	38	0	95
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	792	151	0	943	667	94	0	761
12	कर्नाटक	1851	517	0	2368	1707	598	0	2305
13	केरल	493	336	0	829	494	271	0	765
14	मध्य प्रदेश	2739	1632	0	4371	2664	1704	0	4368
15	महाराष्ट्र	1152	803	1	1956	1104	919	0	2023
16	मणिपुर	0	1	0	1	0	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	1861	568	0	2429	1897	517	0	2414
21	पंजाब	78	46	0	124	103	47	0	150
22	राजस्थान	6730	1523	0	8253	5911	1163	0	7074
23	सिक्किम	3	9	0	12	7	6	0	13
24	तमिलनाडु	1426	330	0	1756	1603	408	0	2011
25	तेलंगाना	1284	433	0	1717	1174	530	0	1704
26	त्रिपुरा	39	12	0	51	12	16	0	28
27	उत्तर प्रदेश	6475	1769	0	8244	6505	1955	0	8460
28	उत्तराखंड	55	10	0	65	69	24	0	93
29	पश्चिम बंगाल	125	41	0	166	139	57	0	196
	कुल राज्य	38223	10916	1	49140	35280	11355	0	46635
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0
31	चंडीगढ़	1	0	0	1	1	0	0	1
32	दादरा नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	4	0	4
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	53	34	0	87	47	22	0	69
35	लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	14	0	0	14	5	2	0	7
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	68	34	0	102	53	28	0	81
	कुल (अखिल भारत)	38291	10950	1	49242	35333	11383	0	46716

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: * वर्ष 2015 के आंकड़े अनंतिम हैं.।

KEXAMS

वर्ष 2014-2015 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति अपराध के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और लिंग वार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014				2015*			
		पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल	पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल
1	आंध्र प्रदेश	398	242	0	640	453	284	0	737
2	अरूणाचल प्रदेश	0	1	0	1	45	17	0	62
3	असम	0	3	0	3	0	0	0	0
4	बिहार	202	87	0	289	9	5	0	14
5	छत्तीसगढ़	304	435	0	739	870	656	0	1526
6	गोवा	12	1	0	13	8	2	0	10
7	गुजरात	146	115	0	261	174	110	0	284
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	6	2	0	8	6	0	0	6
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
11	झारखंड	360	125	0	485	275	36	0	311
12	कर्नाटक	480	120	0	600	349	122	0	471
13	केरल	46	90	0	136	91	85	0	176
14	मध्य प्रदेश	783	1541	0	2324	618	939	0	1557
15	महाराष्ट्र	219	255	0	474	206	312	0	518
16	मणिपुर	4	1	0	5	0	0	0	0
17	मेघालय	1	0	0	1	0	0	0	0
18	मिजोरम	1	0	0	1	0	0	0	0
19	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
20	ओडिशा	1012	489	0	1501	978	503	0	1481
21	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
22	राजस्थान	3161	1068	0	4229	2511	787	0	3298
23	सिक्किम	7	4	0	11	2	2	0	4
24	तमिलनाडु	54	0	0	54	44	23	0	67
25	तेलंगाना	432	148	0	580	500	218	0	718
26	त्रिपुरा	0	19	0	19	3	4	0	7
27	उत्तर प्रदेश	18	6	0	24	3	3	0	6
28	उत्तराखंड	2	0	0	2	2	5	0	7
29	पश्चिम बंगाल	76	75	0	151	80	41	0	121
	कुल राज्य	7724	4827	0	12551	7227	4154	0	11381
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17	7	0	24	3	0	0	3
31	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दादरा नगर हवेली	3	0	0	3	3	0	0	3
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	1	1	0	2	0	0	0	0
35	लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	1	1	0	2	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	22	9	0	31	6	0	0	6
	कुल (अखिल भारत)	7746	4836	0	12582	7233	4154	0	11387

स्रोत: भारत में अपराध   नोट: * वर्ष 2015 के आंकड़े अनंतिम हैं ।

वर्ष 2013-2015 के दौरान अनुसूचित जातियों के लोगों के प्रति अपराध (अत्याचार सहित) के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपत्रित मामले (सीएस), वे मामले जिनमें आरोपपत्र दायर नहीं किए गए किन्तु सत्य के रूप अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई (सीएफआर), दोषिसिद्ध मामले (सीवी), दोषसिद्ध की दर (सीवीआर), गिरफ्तार व्यक्म्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	2013								2014								2015							
		सीआर	सीएस	सीएफआर	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीएफआर	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीएफआर	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955	62	44	8	9	8.8	90	109	21	101	77	1	3	5.2	166	155	6	106	78	2	3	4.8	128	107	3
2	केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम																								
2.1	हत्या	676	564	32	212	43.2	1739	1530	520	704	631	26	189	47.8	2126	1920	510	703	707	619	17	180.0	46.04	1818	1685
2.2	हत्या करने का प्रयास	-	-	-	-	-	-	-	-	420	293	13	19	30.6	1201	961	33	541	547	446	10	30.0	26.32	1526	1297
2.3	बलात्कार	2073	1655	55	376	30.4	2899	2572	483	2233	1929	48	418	34.9	3159	2858	599	2292	2326	1891	57	345.0	33.99	2985	2687
2.4	बलात्कार का प्रयास	-	-	-	-	-	-	-	-	87	54	7	2	25.0	82	64	3	74	74	56	3	4.0	25	71	69
2.5	महिला के सम्मान का अपमान करने के आशय से उस पर हमला	-	-	-	-	-	-	-	-	2346	1809	52	113	29.6	3124	2756	142	2796	2800	2317	48	220.0	27.95	3357	3127
2.6	महिला के सम्मान का अपमान	-	-	-	-	-	-	-	-	56	25	5	0	0.0	55	33	0	58	58	43	1	3.0	17.65	69	56
2.7	अपहरण एवं व्यपहरण: कुल	628	424	74	85	29.9	1080	768	160	755	543	92	102	36.6	1369	1063	174	695	687	489	103	98.0	44.75	1218	918
2.8	डकैती	45	27	2	3	13.6	307	235	24	32	36	3	3	15.8	156	191	22	32	34	23	0	0.0	0	205	174
2.9	लूटपाट	62	51	3	6	16.2	153	134	18	67	45	5	6	24.0	97	102	9	42	43	33	2	5.0	16.13	102	94
2.10	आगजनी	189	146	15	33	25.2	469	404	61	179	133	13	24	24.7	365	345	51	174	179	142	10	28.0	32.18	391	354
2.11	गंभीर चोट	4901	3376	333	524	18.7	8694	8417	1247	2155	1976	140	451	31.5	4074	3604	917	1042	1007	928	54	253.0	31.82	2397	2145
2.12	दंगा	-	-	-	-	-	-	-	-	838	611	61	27	15.9	4532	3947	147	1467	1465	1071	56	35.0	15.28	8482	7164
2.13	अन्य आईपीसी अपराध	16797	10094	1013	2102	28.9	30000	24214	4137	21541	13239	1384	2542	34.3	33103	27291	5611	22570	22632	14133	1068	1996.0	31.46	33602	28502
2.14	केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	13975	9889	1417	984	16.87	24619	22144	2048	8887	8003	795	820	16.0	17406	16709	1775	6054	6005	4767	439	922.0	18.12	11950	11455
2.15	कुल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	39346	26226	2944	4325	23.9	69960	60418	8698	40300	29327	2644	4716	28.4	70849	61844	9993	38540	38564	26958	1868	4119.0	27.2	68173	59727
3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू नहीं किया गया																								
3.1	हत्या	-	-	-	-	-	-	-	-	90	60	3	5	27.8	126	104	7	106	87	2	8	36.4	137	131	19
3.2	हत्या करने का प्रयास	-	-	-	-	-	-	-	-	72	48	2	1	12.5	159	120	2	100	81	1	6	25.0	146	154	10
3.3	बलात्कार	-	-	-	-	-	-	-	-	155	110	0	3	20.0	179	137	3	215	146	0	11	22.4	219	172	12
3.4	बलात्कार का प्रयास	-	-	-	-	-	-	-	-	17	7	0	0	0.0	11	8	0	17	9	0	1	33.3	14	9	1
3.5	महिला के सम्मान का अपमान करने के आशय से उस पर हमला	-	-	-	-	-	-	-	-	396	304	5	10	26.3	431	398	11	350	243	1	11	13.4	372	313	12
3.6	महिला के सम्मान का अपमान	-	-	-	-	-	-	-	-	70	63	5	2	11.8	89	70	2	93	83	0	9	42.9	111	125	12
3.7	अपहरण एवं व्यपहरण: कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	129	57	10	4	25.0	89	71	5	162	73	8	7	31.8	120	120	7
3.8	डकैती	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	0	0	-	10	8	0	2	3	1	0	0.0	6	8	0
3.9	लूटपाट	-	-	-	-	-	-	-	-	25	14	2	4	66.7	52	43	4	29	20	2	5	50.0	35	40	9
3.10	आगजनी	-	-	-	-	-	-	-	-	22	7	3	0	0.0	16	9	0	30	20	3	1	25.0	24	23	1
3.11	गंभीर चोट	-	-	-	-	-	-	-	-	112	85	2	8	23.5	160	151	9	89	84	1	3	9.4	141	139	3
3.12	दंगा	-	-	-	-	-	-	-	-	94	66	0	4	50.0	434	338	29	88	88	1	4	20.0	317	347	18
3.13	अन्य आईपीसी अपराध	-	-	-	-	-	-	-	-	5324	3823	147	313	38.5	6069	5757	454	4728	3689	95	493	33.8	5578	5175	665
3.14	अनुसूचित जातियों के प्रति कुल आईपीसी अपराध	-	-	-	-	-	-	-	-	6511	4647	179	354	36.3	7825	7214	526	6009	4626	115	559	32.0	7220	6756	769
4	हाथों से मैला ढोने वाले तथा सूखे शौचालयों का निर्माण (निवारण) अधिनियम, 1993	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
5	अनुसूचित जनजातियों के प्रति अन्य एसएलएल अपराध	-	-	-	-	-	-	-	-	152	112	6	29	56.9	191	161	37	324	190	43	21	35.6	333	290	43
	अनुसूचित जाति के प्रति कुल अपराध	39408	26270	2952	4334	23.8	70050	60527	8719	47064	34163	2830	5102	28.8	79031	69374	10562	45003	31852	2028	4702	27.6	75854	66880	9656

स्रोत: भारत में अपराध आंकडे अलग से एकत्र नहीं किए गए है.

नोट '-' पुलिस/न्यायालयों द्वारा मामलों/व्यक्तियों के निपटान में पिछले वर्षों के मामले/व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं

टिप्पणी : कुल अपराध में अत्याचार के मामलों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता के मामले) और अत्याचार से अलग मामले (जिनमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के बिना भारतीय दंड संहिता की धारा और अन्य विशेष एवं स्थानीय कानूनों के अंतर्गत दर्ज मामले) शामिल हैं।

वर्ष 2013-2015 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति अपराध (अत्याचार सहित) के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर), आरोपत्रित मामले (सीएस), वे मामले जिनमें आरोपपत्र दायर नहीं किए गए किन्तु सत्य के रूप अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई (सीएफआर), दोषिसिद्ध मामले (सीवी), दोषसिद्ध की दर (सीवीआर), गिरफ्तार व्यक्म्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	2013								2014								2015*							
		सीआर	सीएस	सीएफआर	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीएफआर	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीएफआर	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955	25	15	0	0	0.0	49	40	0	1	11	0	1	16.7	1	10	1	1	0	0	0	-	0	0	0
2	केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम																								
2.1	हत्या	122	122	13	33	26.6	295	265	67	157	133	0	37	38.5	348	329	65	144	128	1	20	30.3	264	280	42
2.2	हत्या करने का प्रयास	-	-	-	-	-	-	-	-	78	65	1	5	33.33	247	231	17	88	69	0	5	27.8	269	240	9
2.3	बलात्कार	847	768	13	108	19.5	1132	1091	187	925	861	7	225	35.8	1264	1250	286	952	854	2	126	21.0	1321	1265	155
2.4	बलात्कार का प्रयास	-	-	-	-	-	-	-	-	24	14	0	1	20	17	16	1	15	11	0	1	33.3	19	16	1
2.5	महिला के सम्मान का अपमान करने के आशय से उस पर हमला	-	-	-	-	-	-	-	-	863	726	8	40	28.99	1021	964	66	818	711	5	91	25.7	998	916	97
2.6	महिला के सम्मान का अपमान	-	-	-	-	-	-	-	-	16	8	0	1	25	14	8	1	12	13	0	0	0.0	16	18	0
2.7	अपहरण एवं व्यपहरण: कुल	130	113	8	14	23.0	172	172	21	166	120	8	18	34.0	189	193	23	124	112	4	11	19.3	174	172	15
2.8	डकैती	8	5	1	0	0.0	38	33	0	2	6	1	0	0.0	18	34	0	4	1	0	0	0.0	20	10	0
2.9	लूटपाट	7	7	0	1	9.1	17	15	1	12	8	3	1	25.0	12	12	1	9	4	0	1	16.7	8	8	3
2.10	आगजनी	33	21	2	2	11.8	42	33	4	28	27	2	9	32.1	86	89	24	25	15	0	2	22.2	25	27	7
2.11	गंभीर चोट	930	672	49	85	18.1	1424	1423	181	287	287	14	84	28.0	509	515	165	145	140	7	42	18.3	286	283	66
2.12	दंगा	-	-	-	-	-	-	-	-	101	81	2	1	4.167	677	580	1	133	92	2	4	8.7	707	670	24
2.13	अन्य आईपीसी अपराध	3301	1993	88	233	17.9	3845	3758	438	3045	1811	46	485	38.5	3546	3458	771	2974	1665	34	270	22.8	3220	3134	439
2.14	केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	1390	1020	115	58	8.181	2261	2134	201	1122	1042	78	87	13.12	2308	2119	152	832	592	63	110	12.7	1235	1305	156
2.15	कुल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	6768	4721	289	534	16.5	9226	8924	1100	6826	5189	170	994	30.9	10256	9798	1573	6275	4407	118	683	19.8	8562	8344	1014
3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू नहीं किया गया																								
3.1	हत्या	-	-	-	-	-	-	-	-	90	63	2	1	7.692	131	102	1	172	142	2	19	35.8	272	235	25
3.2	हत्या करने का प्रयास	-	-	-	-	-	-	-	-	47	34	3	2	18.18	84	77	6	99	72	1	4	21.1	129	111	4
3.3	बलात्कार	-	-	-	-	-	-	-	-	234	162	0	6	11.11	203	193	7	240	177	4	25	26.6	223	212	25
3.4	बलात्कार का प्रयास	-	-	-	-	-	-	-	-	37	20	0	0	0	30	29	0	22	13	0	1	14.3	14	14	1
3.5	महिला के सम्मान का अपमान करने के आशय से उस पर हमला	-	-	-	-	-	-	-	-	445	332	1	20	35.71	508	503	76	411	299	0	44	43.6	405	401	69
3.6	महिला के सम्मान का अपमान	-	-	-	-	-	-	-	-	21	19	0	0	0	27	25	0	21	19	0	1	50.0	23	22	1
3.7	अपहरण एवं व्यपहरण: कुल	-	-	-	-	-	-	-	-	303	131	2	3	9.677	157	160	3	230	82	9	8	16.0	132	129	12
3.8	डकैती	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	6	1	1	0	-	5	3	0
3.9	लूटपाट	-	-	-	-	-	-	-	-	34	23	5	2	66.67	61	61	6	18	11	2	1	33.3	21	19	1
3.10	आगजनी	-	-	-	-	-	-	-	-	19	8	4	0	0	20	16	0	38	30	1	0	0.0	66	64	0
3.11	गंभीर चोट	-	-	-	-	-	-	-	-	97	83	1	25	89.29	139	131	33	70	69	0	6	75.0	116	118	8
3.12	दंगा	-	-	-	-	-	-	-	-	39	28	0	18	85.71	218	211	98	81	74	0	6	66.7	343	360	56
3.13	अन्य आईपीसी अपराध	-	-	-	-	-	-	-	-	3156	2403	44	590	60.02	4270	4119	1223	2795	2253	49	524	50.3	3681	3581	1019
3.14	अनुसूचित जातियों के प्रति कुल आईपीसी अपराध	-	-	-	-	-	-	-	-	4522	3306	62	667	55.03	5848	5627	1453	4203	3242	69	639	45.7	5430	5269	1221
4	हाथों से मैला ढोने वाले तथा सूखे शौचालयों का निर्माण (निवारण) अधिनियम, 1993	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
5	अनुसूचित जनजातियों के प्रति अन्य एसएलएल अपराध	-	-	-	-	-	-	-	-	102	83	4	37	86.05	162	149	49	435	401	17	27	50.9	444	434	30
	अनुसूचित जाति के प्रति कुल अपराध	6793	4736	289	534	16.4	9275	8964	1100	11451	8589	236	1699	37.9	16267	15584	3076	10914	8050	204	1349	27.6	14436	14047	2265

स्रोत: भारत में अपराध

पुलिस/न्यायालयों द्वारा मामलों/व्यक्तियों के निपटान में पिछले वर्षों के मामले/व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं

नोट '-' आंकडे अलग से एकत्र नहीं किए गए है.

* वर्ष 2015 के लिए आंकडे अनंतिम है.

टिप्पणी: कुल अपराध में अत्याचार के मामलों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता के मामले) और अत्याचार से अलग मामले (जिनमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के बिना भारतीय दंड संहिता की धारा और अन्य विशेष एवं स्थानीय कानूनों के अंतर्गत दर्ज मामले) शामिल हैं।

वर्ष 2013-2015 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति अपराध (अत्याचार सहित) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले (सीआर), आरोपत्रित मामले (सीएस), वे मामले जिनमें आरोपपत्र दायर नहीं किए गए किन्तु सत्य के रूप अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई (सीएफआर), दोषसिद्ध मामले (सीवी), दोषसिद्धि की दर (सीवीआर), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2013								2014								2015#							
		सीआर	सीएस	सीएफआर	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीएफआर	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीएफआर	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	आंध्र प्रदेश	672	421	36	18	3.4	909	874	26	627	336	5	12	10.2	798	547	23	719	339	0	6	3.6	644	557	11
2	अरूणाचल प्रदेश	1	1	0	0	-	1	1	0	1	1	0	0	-	1	1	0	59	24	4	0	-	37	27	0
3	असम	0	0	43	0	0.0	0	0	0	1	0	4	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
4	बिहार	91	62	23	0	0.0	123	152	0	77	48	13	4	10.3	188	161	18	14	28	0	2	10.0	13	68	2
5	छत्तीसगढ	331	340	2	69	32.7	525	481	199	721	700	7	82	29.4	1009	1050	109	1518	1445	29	253	41.9	1944	1995	287
6	गोवा	10	1	0	0	0.0	1	0	0	6	7	2	0	-	5	7	0	8	6	1	0	0.0	4	7	0
7	गुजरात	224	220	2	8	5.0	467	462	23	229	210	6	3	1.8	514	529	5	256	234	4	3	4.5	724	698	6
8	हरियाणा	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	--	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	2	1	0	0	-	1	1	0	3	2	0	0	0.0	16	10	0	6	4	0	0	--	7	10	0
10	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
11	झारखंड	396	186	91	52	33.5	282	324	83	432	282	93	36	32.4	470	416	39	269	183	65	25	18.4	386	298	30
12	कर्नाटक	535	407	25	4	1.8	1160	1004	17	487	456	2	11	6.5	1205	1122	13	415	312	4	5	3.4	843	836	9
13	केरल	135	94	11	7	8.8	142	153	12	135	96	11	6	16.7	143	119	6	176	100	3	3	4.9	170	143	4
14	मध्य प्रदेश	1296	1231	5	310	28.6	2146	2122	629	2279	2222	3	774	47.6	3743	3752	1229	1531	1543	0	323	23.0	2693	2705	475
15	महाराष्ट्र	415	311	4	11	5.6	887	819	21	443	400	10	12	6.0	941	883	15	483	350	8	25	11.7	998	869	59
16	मणिपुर	2	2	0	1	100.0	1	2	4	2	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
17	मेघालय	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	-	3	3	0	0	0	0	0	-	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
19	नागालैंड	18	4	1	0	-	14	7	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
20	ओडिशा	791	680	26	28	7.3	1047	1100	36	1259	1035	30	18	6.9	1472	1431	26	1387	1087	19	33	6.0	1564	1488	43
21	पंजाब	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
22	राजस्थान	1651	613	2	10	19.2	1168	1168	20	3952	2219	29	716	62.0	4261	4260	1527	3207	1740	44	607	52.3	3418	3431	1252
23	सिक्किम	17	17	0	7	46.7	20	20	8	10	9	1	1	10.0	27	26	11	4	4	0	2	66.7	4	4	2
24	तमिलनाडु	23	12	1	1	14.3	59	27	2	18	20	1	0	0.0	24	45	0	30	28	1	0	0.0	38	42	0
25	तेलंगाना									569	369	12	13	5.3	1161	961	26	698	553	10	52	20.0	789	722	65
26	त्रिपुरा	24	33	1	0	0.0	34	34	0	18	19	0	2	33.3	30	30	2	7	6	1	2	10.0	9	11	3
27	उत्तर प्रदेश	25	22	1	4	40.0	59	52	16	24	18	5	6	46.2	35	36	23	6	8	0	7	63.6	9	12	16
28	उत्तराखंड	2	2	1	0	-	2	2	0	1	1	0	0	0.0	2	2	0	6	2	1	1	100.0	2	2	1
29	पश्चिम बंगाल	122	70	11	1	8.3	222	149	1	141	133	0	3	13.0	193	181	4	109	46	9	0	0.0	122	92	0
	कुल राज्य	6783	4730	286	531	16.4	9270	8954	1097	11437	8583	234	1699	37.9	16241	15572	3076	10908	8042	203	1349	27.6	14418	14017	2265
30	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	5	1	3	100.0	4	6	3	7	3	0	0	-	22	10	0	3	6	1	0	-	16	26	0
31	चंडीगढ	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
32	दादरा नगर हवेली	7	1	1	0	0.0	1	4	0	3	0	2	0	0.0	1	0	0	3	1	0	0	-	2	3	0
33	दमन और दीव	1	0	1	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
34	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	-	0	0	0	2	1	0	0	-	2	1	0	0	1	0	0	0.0	0	1	0
35	लक्षदीप	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	0	-	0	0	0	2	1	0	0	-	1	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	10	6	3	3	75.0	5	10	3	14	6	2	0	0.0	26	12	0	6	8	1	0	0.0	18	30	0
	कुल (अखिल भारत)	6793	4736	289	534	16.4	9275	8964	1100	11451	8589	236	1699	37.9	16267	15584	3076	10914	8050	204	1349	27.6	14436	14047	2265

स्रोत: भारत में अपराध

पुलिस/न्यायालयों द्वारा मामलों/व्यक्तियों के निपटान में पिछले वर्षों के मामले/व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं

नोट '-*' वर्ष 2015 के लिए आंकडे अनंतिम है.

टिप्पणी: कुल अपराध में अत्याचार के मामलों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता के मामले) और अत्याचार से अलग मामले (जिनमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के बिना भारतीय दंड संहिता की धारा और अन्य विशेष एवं स्थानीय कानूनों के अंतर्गत दर्ज मामले) शामिल हैं।

KEXAMS

2013-2015 के दौरान अनुसूचित जातियों के लोगों के प्रति अपराध (अत्याचार सहित) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले (सीआर), आरोपत्रित मामले (सीएस), वे मामले जिनमें आरोपपत्र दायर नहीं किए गए किन्तु सत्य के रूप अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई (सीएफआर), दोषिसिद्ध मामले (सीवी), दोषसिद्धि की दर (सीवीआर), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर), आरोपपत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2013								2014								2015#							
	सीआर	सीएस	सीएफआर	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीएफआर	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीएफ आर	सीवी	सीवीआर	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
आंध्र प्रदेश	3270	1652	316	138	7.6	4251	3919	347	4114	2225	97	147	13.4	4199	3426	271	4415	2292	15	205	18.3	4615	3719	269
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
असम	8	2	43	0	0.0	5	2	0	2	0	7	0	-	1	0	0	5	0	3	0	-	4	0	0
बिहार	6721	4608	695	204	13.1	10173	9650	300	7893	6152	787	101	6.7	8934	8306	221	6438	4665	175	118	16.3	7682	6791	201
छत्तीसगढ	242	297	4	75	36.8	587	542	132	1066	893	65	143	46.0	1368	1383	183	1028	1034	25	210	44.8	1409	1395	265
गोवा	12	15	1	0	0.0	19	12	0	17	13	1	2	100.0	16	20	2	13	9	3	1	9.1	1	3	1
गुजरात	1190	1110	43	29	2.5	3061	2983	57	1130	1046	21	26	3.4	2818	2774	33	1046	986	15	11	3.1	2634	2689	27
हरियाणा	493	353	5	48	14.6	724	747	84	830	615	22	64	13.1	1146	1071	113	834	613	33	50	15.3	1097	1039	76
हिमाचल प्रदेश	148	108	1	9	16.7	208	224	13	122	69	0	9	19.1	159	132	22	95	69	0	2	3.3	125	133	2
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0
झारखंड	978	438	372	105	29.8	624	649	154	903	482	181	60	25.9	942	577	62	738	409	130	40	15.2	714	515	46
कर्नाटक	2566	2162	75	71	3.5	5400	4668	177	2138	1807	20	46	4.5	4575	4325	85	1987	1537	20	27	3.1	4687	4291	37
केरल	756	387	104	22	10.8	557	597	33	816	442	95	34	18.3	784	691	41	752	416	32	18	11.7	606	585	30
मध्य प्रदेश	2945	2760	17	767	31.9	5781	5733	1757	4151	4187	4	1586	49.6	7972	7934	2784	4188	4148	4	836	33.1	7547	7614	1448
महाराष्ट्र	1678	1303	49	44	6.2	4965	4517	112	1768	1464	20	59	7.5	4286	4332	95	1816	1389	37	64	8.1	4690	4221	169
मणिपुर	1	0	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	-	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
ओडिशा	2592	1741	105	51	4.6	2996	3044	70	2266	2342	46	23	1.9	3527	3507	34	2305	1856	64	57	3.9	2460	2433	114
पंजाब	126	66	2	13	17.6	210	122	30	123	49	3	6	11.8	152	93	19	147	64	2	11	32.4	170	108	25
राजस्थान	6475	2434	13	844	46.5	4497	4492	966	8028	3600	30	806	45.3	6429	6619	1781	6998	3028	75	837	39.6	5068	5446	1636
सिक्किम	6	6	0	13	86.7	7	7	9	10	7	1	2	100.0	10	9	1	11	8	1	1	33.3	15	8	1
तमिलनाडु	1845	1265	112	106	12.5	3726	3073	329	1546	1307	111	88	7.8	3578	3595	181	1782	1370	108	69	5.7	3868	3627	196
तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	1694	1046	95	40	8.299	2653	2202	59	1678	1228	55	86	9.5	1458	1517	102
त्रिपुरा	48	48	4	0	0.0	57	56	0	49	32	1	0	0.0	57	46	0	28	18	2	3	23.1	22	24	4
उत्तर प्रदेश	7078	5336	967	1772	54.1	21836	15188	4113	8075	6132	1197	1846	55.8	24980	17951	4557	8358	6527	1215	2033	57.7	26613	20369	4952
उत्तराखंड	34	22	5	22	46.8	57	59	35	61	40	21	8	28.6	79	73	8	93	62	11	22	57.9	147	142	54
पश्चिम बंगाल	115	88	15	0	0.0	200	141	0	159	127	5	1	1.8	249	192	1	186	75	1	0	0.0	162	147	0
कुल राज्य	39327	26201	2948	4333	23.8	69941	60425	8718	46962	34077	2830	5097	28.8	78915	69258	10553	44941	31803	2026	4701	27.7	75794	66816	9655
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
चंडीगढ	4	2	0	0	0.0	2	2	0	1	1	0	0	0.0	4	3	0	1	0	0	0	0.0	0	0	0
दादरा नगर हवेली	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
दमन और दीव	1	0	1	0	-	0	0	0	0	1	0	0	-	0	0	0	2	0	0	0	-	0	0	0
दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	55	55	3	0	0.0	71	70	0	87	75	0	5	13.9	107	104	9	54	37	2	1	9.1	41	46	1
लक्षदीप	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0
पुडुचेरी	21	12	0	1	5.6	36	30	1	14	9	0	0	-	5	9	0	5	12	0	0	-	19	18	0
कुल संघ राज्य क्षेत्र	81	69	4	1	3.1	109	102	1	102	86	0	5	13.5	116	116	9	62	49	2	1	8.3	60	64	1
कुल (अखिल भारत)	39408	26270	2952	4334	23.8	70050	60527	8719	47064	34163	2830	5102	28.8	79031	69374	10562	45003	31852	2028	4702	27.6	75854	66880	9656

भारत में अपराध

पुलिस/न्यायालयों द्वारा मामलों/व्यक्तियों के निपटान में पिछले वर्षों के मामले/व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं

नोट '-' * वर्ष 2015 के लिए आंकडे अनंतिम है.

णी: कुल अपराध में अत्याचार के मामलों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता के मामले) और अत्याचार से अलग मामले (जिनमें नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के बिना भारतीय दंड संहिता की धारा और अन्य विशेष एवं स्थानीय कानूनों के अंतर्गत दर्ज मामले) शामिल हैं।